

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR**

Endt.No B/9207.....(JJB)/ Jabalpur, dated 19...../12/2023  
III-6-4/72-XI

The copy of notification no. 2534/1737995/23/86-2 dated 13-12-2023 issued u/r 6(7) of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Rule, 2016 by the State Government, Department of Women & Child Development, Bhopal for Juvenile Justice Board ~~data~~ is forwarded to :-

- 1- The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information.
- 2- The District and Sessions Judge, Agar.
- 3- The District Judge (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore,
- 4- Shri/Smt.....CJM/JMFC & Principal Magistrate of District.....
- 5- The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
- 6- Registrar (J.)/(D.E.)/(A.)/(Vig.)/(Vl.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
- 7- P.S. to Hon'ble the Chief Justice ,High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
- 8- P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination & ILR)/OSD High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 9- P.A. to Director/Additional Director/MPSJA, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 10- Registrar (M) Confidential/A.O. Checker High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,

  
(Santosh Prasad Shukla)  
REGISTRAR(DE)

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 13-12-23

कमांक 2534/1737995/22/86-2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 (आदर्श संशोधित नियम, 2022) के नियम 6 (7) में किशोर न्याय बोर्ड के कार्य दिवसों के बारे में प्रावधानित है कि "बोर्ड समस्त कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य-समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डों का गठन न किया हो"।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्र. D/4790/III-6-4/72 दिनांक 21/11/2023 अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में कार्यदिवसों की संख्या निर्धारित कर आदेश जारी किये जाने हेतु लेख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार निम्न तालिका के कॉलम 02 में उल्लेखित जिले के किशोर न्याय बोर्ड हेतु कॉलम 3 में उल्लेखित कार्य दिवस निर्धारित करता है:-

कमांक	किशोर न्याय बोर्ड जिला	बोर्ड की बैठक हेतु निर्धारित कार्य दिवस
1	2	3
1.	दतिया	सप्ताह का 01 कार्य दिवस (बुधवार)

AO (checker)  
16-12-23  
Reg (DE)


(अजय कट्टेसारिया)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : 2525/1737995/23/86-2

भोपाल, दिनांक 13/12/22

तैलिपि:-

01. रजिस्ट्रार, (DE) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
02. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
03. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
04. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय, भोपाल।
05. संभागीय आयुक्त, संबंधित मध्यप्रदेश।
06. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
07. कलेक्टर, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
08. प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला संबंधित।
10. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला संबंधित।
11. अनुभाग अधिकारी-2/गार्ड फाइल  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग